

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 5061
उत्तर देने की तारीख: 24.03.2026

जम्मू और कश्मीर में आरक्षण नीति

5061. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार जम्मू और कश्मीर में आरक्षण नीतियां आवधिक समीक्षा के अधीन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को अनारक्षित श्रेणी पर मौजूदा आरक्षण ढांचे के असमानुपातिक प्रभाव के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और
- (ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आरक्षण सामाजिक न्याय का एक साधन बना रहे और इसके परिणामस्वरूप शिक्षा और रोजगार तक पहुंच में बहिर्वेशन या दीर्घकालिक असंतुलन उत्पन्न न हो?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में आरक्षण के युक्तिकरण से संबंधित मुद्दों की जांच और समीक्षा करने के लिए एक मंत्रिमंडल उप-समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद को सौंप दी है।

(ख) और (ग): इस विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अनारक्षित श्रेणी पर मौजूदा आरक्षण ढांचे के असमानुपातिक प्रभाव के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
